जिला न्यायालय, जनपद उत्तरकाशी में न्यायिक अधिकारीगण को वादों को तहसीलों के आधार पर श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरकाशी। दीवानी मामलों का क्षेत्राधिकार				
1.	मूल वाद	कापी राइट एक्ट, ट्रस्ट अधिनियम के वाद, हिन्दू विवाह अधिनियम व विशेष विवाह अधिनियम	सम्पूर्ण जनपद	असीमित मूल्यांकन
2.	लघुवाद	किराया एवं बेदखली वाद	सम्पूर्ण जनपद	पच्चीस हजार रूपए से अधिक
3.	दीवानी अपील	सीनियर सिविल जज, सिविल जज द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध अपील	सम्पूर्ण जनपद	पन्द्रह लाख रूपए मूल्यांकन तक
4.	प्रकीर्ण अपील	सीनियर सिविल जज, सिविल जज द्वारा पारित आदेशों की अपीले, पी0पी0 एक्ट अपील, पेमेंट आफ वेजेज एक्ट अपील, अरबन लैण्ड सीलिंग अपील	सम्पूर्ण जनपद	पन्द्रह लाख रूपए मूल्यांकन तक
5.	दीवानी निगरानी	सीनियर सिविल जज, सिविल जज द्वारा पारित आदेशों की निगरानी	सम्पूर्ण जनपद	पन्द्रह लाख रूपए मूल्यांकन तक
6.	लघुवाद निगरानी	सीनियर सिविल जज, सिविल जज द्वारा पारित आदेशों की निगरानी	सम्पूर्ण जनपद	पन्द्रह लाख रूपए मूल्यांकन तक
7.	किराया नियंत्रण अपील	नियत प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की अपील	सम्पूर्ण जनपद	
8.	किराया नियंत्रण निगरानी	किराया नियंत्रण एवं निष्कासन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध निगरानी	सम्पूर्ण जनपद	
9.	प्रकीर्ण वाद	उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, लैटर आफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबेट, हिन्दू एडोप्शन एक्ट, माइनर एण्ड गार्जियन शिप एक्ट के वाद	सम्पूर्ण जनपद	
		आर्बिट्रेशन कान्सीलिएशन एक्ट के अधीन वाद		
फौजदारी मामलों का क्षेत्राधिकार				
10.	सत्र विचारण	भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सभी सत्र विचारण (जो मजिस्ट्रेटों द्वारा सेशन सुपुर्द किये गये)	सम्पूर्ण जनपद	
11.	फौजदारी अपीलें	जनपद के सभी मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित निर्णयों की अपीलें, घरेलू हिंसा अधिनियम, आबकारी अधिनियम की अपीलें	सम्पूर्ण जनपद	
12.	फौजदारी निगरानी	जनपद के सभी मजिस्ट्रेटों द्वारा पारित आदेशों की निगरानी	सम्पूर्ण जनपद	

विशेष मामलों का क्षेत्राधिकार			
1.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम		
2.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम		
3.	भारतीय विद्युत अधिनियम		
4.	स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम		
5.	मोटर दुर्घटना प्रतिकर से सम्बन्धित याचिकाएँ		
6.	अपील अन्तर्गत एजुकेशन ट्रिब्यूनल		
7.	उत्तरांचल निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठान में)		
8.	औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम		
9.	दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016		
10.	मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017		
11.	मानव अधिकार अधिनियम 1993		
12.	बेनामी सम्पति लेन देन (निषेध) अधिनियम 1988		
13.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' के अन्तर्गत मामलों हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण		
सीनियर सिविल जज उत्तरकाशी			
1.	दीवानी वाद	सम्पूर्ण जनपद	3,00,000/–रू0 (तीन लाख रूपए) मूल्यांकन से अधिक असीमित मूल्यांकन तक के वाद
2.	लघु वाद	सम्पूर्ण जनपद	5,001/–रू0 (पॉच हजार एक रूपए) से 25,000/–रू0 (पच्चीस हजार रूपए) मूल्यांकन तक के वाद
3.	उत्तरप्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 के तहत सिविल जज बड़कोट व पुरोला के क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर सम्पूर्ण जनपद उत्तरकाशी के वाद		
4.	जिला न्यायाधीश उत्तरकाशी द्वारा अन्तरण द्वारा भेजे गये समस्त दीवानी वाद		
5.	फौजदारी पक्ष – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–125, 125(3), 127 व घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित मामले तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी द्वारा अन्तरण द्वारा भेजे गये अन्य फौजदारी मामले		
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी			
1.	थाना कोतवाली उत्तरकाशी व थाना धरासू तथा समस्त राजस्व क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालानी मामले तथा आबकारी अधिनियम, वन अधिनियम से सम्बन्धित परिवादों तथा धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं 155(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों की सुनवाई/निस्तारण		
2.	कर्मकार प्रतिकर मामलों की सुनवाई – सम्पूर्ण जनपद उत्तरकाशी		
सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी			
1.	दीवानी वाद	सिविल जज पुरोला व बड़कोट के क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर सम्पूर्ण जनपद उत्तरकाशी	3,00,000/–रू0 (तीन लाख रूपए) मूल्यांकन तक के वाद
2.	लघु वाद		5,000/–रू0 (पॉच हजार रूपए) मूल्यांकन तक के वाद
3.	**थाना कोतवाली उत्तरकाशी** एवं **थाना धरासू** से सम्बन्धित परिवाद पर संस्थित मामले (विशेष अधिनियम के अन्तर्गत उन दाण्डिक मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार विशेष अधिनियम के प्रावधानुसार अनन्यतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त है) तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्तान्तरित फौजदारी वादों की सुनवाई		
न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी			
	थाना हर्षिल एवं **थाना मनेरी** से सम्बन्धित पुलिस चालानी मामले एवं परिवाद पर संस्थित मामले, ए0आर0टी0ओ0 से सम्बन्धित समस्त परिवाद, धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं 155(2) दण्ड		

	प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र (विशेष अधिनियम के अन्तर्गत उन दाण्डिक मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार विशेष अधिनियम के प्रावधानुसार अनन्यतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त है) तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्तान्तरित फौजदारी वादों की सुनवाई		
सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरोला			
1.	दीवानी वाद	तहसील पुरोला व मोरी क्षेत्रान्तर्गत	3,00,000/–रू0 (तीन लाख रूपए) मूल्यांकन तक के वाद
2.	लघु वाद		5,000/–रू0 (पॉच हजार रूपए) मूल्यांकन तक के वाद
3.	उत्तरप्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 के वाद		
4..	थाना पुरोला व मोरी तथा तहसील पुरोला व मोरी क्षेत्रान्तर्गत समस्त पुलिस चालानी मामले एवं परिवाद, धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं 155(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र (विशेष अधिनियम के अन्तर्गत उन दाण्डिक मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार विशेष अधिनियम के प्रावधानुसार अनन्यतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त है)		
सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़कोट			
1.	दीवानी वाद	तहसील बड़कोट क्षेत्रान्तर्गत	3,00,000/–रू0 (तीन लाख रूपए) मूल्यांकन तक के वाद
2.	लघु वाद		5,000/–रू0 (पॉच हजार रूपए) मूल्यांकन तक के वाद
3.	उत्तरप्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 के वाद		
4..	थाना बड़कोट तथा तहसील बड़कोट क्षेत्रान्तर्गत समस्त पुलिस चालानी मामले एवं परिवाद, धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं 155(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र (विशेष अधिनियम के अन्तर्गत उन दाण्डिक मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार विशेष अधिनियम के प्रावधानुसार अनन्यतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त है)		